Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बयाना....................

भूपेन्द्रसिंह.................... बनाम .... कुलदीपसिंह वगै....................

किस्म मुकदमा ...प्राथेना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट.................... नं.................... सन 154/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14/07/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नारौली तहसील बयाना में कब्जेकाश्त में बाधा नहीं करें। कब्जा नहीं करें। रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थीगण को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरुध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नारौली तहसील बयाना में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण/ ~~रजिस्टर्ड~~ डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.09.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज	[illegible handwriting]
12/9/25	[illegible handwriting] ... दि. 17/12/25 को पेश हो ...	12.09.2025 भूपेन्द्रसिंह

17/11/25 प्रकरण आज पेश हुआ। मूलवाद की प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को not-press के आधार पर खारिज करवा लिया है। इस कारण प्रार्थना पत्र को आगे चलाना का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। हो